झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–14.10.2018

विज्ञापन संख्या–06/2018

झारखण्ड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति परीक्षा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–810 दिनांक–29.01.2018 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2328 दिनांक–02.05.2018 द्वारा **सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी** के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. (क) (i) पद का नाम– सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी (Assistant Public Health Officer)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

Sl. No.	Category	Vertical Reservation	Horizontal Reservation against total vacancy					
		No. of vacancies	Primitive Tribe	Women		Handicapped		
					Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	28	Horizontal reservation of Primitive Tribes 00	--	01	01	01	00
ii	SC	06		01				
iii	ST	14						
iv	BC-I	05						
v	BC-II	03						
Total of (i) to (v)		56	00	01	01	01	01	00

नोटः– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. वेतनमान – **9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 – 5400**

3. पद – स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :–

(क) शैक्षणिक योग्यता :– सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा आवेदक को चिकित्सक के रूप में निबंधन संख्या प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

कृ0पृ0उ0

(ख) अनुभव :– आवेदक को मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्राप्त होना आवश्यक होगी।

6. उम्र गणना की संदर्भ तिथि :– 01.08.2018

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :– 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–609 दिनांक–25.01.2016 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)	37 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

(ग) निःशक्त अभ्यर्थियों को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(घ) निःशक्तता का लाभ :–

i. आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।

ii. निःशक्तता का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 2249 दिनांक– 03.04.2018 के आलोक में कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 2249 दिनांक– 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र विज्ञापन के साथ संलग्न है तथा आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **Important Jharkhnd Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

(ड.) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(च) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी –II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

कृ0पृ0उ0

7. सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :—

(क) अर्हताधारी अभ्यर्थियों की लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ख) यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान हो तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा इसके उपरान्त भी यदि प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

8. न्यूनतम अर्हतांक :—

सामान्य वर्ग	—	40%
पिछड़ा वर्ग	—	36.5%
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर—I)	—	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	—	32%

अन्तर्वीक्षा के लिये भी उपरोक्त न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रमः—

लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूपः—

(क) लिखित परीक्षाः— यह **Multiple Choice Objective Type** होगी, जिसमें **100—100** अंकों के निम्न **04 (चार) पत्र** होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए **02 (दो) घण्टे** का समय निर्धारित रहेगा।

लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूप

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	प्रथम पत्र	औषधि (सामान्य)	**100**
2.	द्वितीय पत्र	(क) शिशु रोग	40
		(ख) शिशु कल्याण एवं परिवार नियोजन सहित निवारक औषधि एवं सामुदायिक स्वास्थ्य।	60
		कुल अंक	**100**
3.	तृतीय पत्र	(क) शल्य चिकित्सा (सामान्य)	60
		(ख) ऑर्थोपेडिक सहित विकलांग विज्ञान	40
		कुल अंक	**100**
4.	चतुर्थ पत्र	(क) आँख	25
		(ख) कान, नाक एवं गला	25
		(ग) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	50
		कुल अंक	**100**
5.	**मौखिक परीक्षा**		**40**

कृ0पृ0उ0

(ख) पाठ्यक्रम – संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

10. आरक्षण का लाभ :–

(i) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 6763 दिनांक– 05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः–

(a) **अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :–**

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि** के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–I में **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(b) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) :–**

झारखण्ड राज्य के **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–II (ननक्रीमीलेयर प्रमाण सहित) में **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत वैध (Valid) एवं **अद्यतन** जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(iii) झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular and Notices में उपलब्ध है।

(iv) झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाणपत्र की **स्पष्ट एवं पठनीय** स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी यथा प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, अनुमंडल, जिला, राज्य एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा।

(v) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(vi) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** से अलग प्राधिकार यथा **अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी** आदि स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(vii) केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(viii) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु दिनांक–22.10.2008 से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

कृ0पृ0उ0

(ix) कोटि का निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी।

(x) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण में अनुमान्य नहीं होगा।

(xi) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 10 (ii) (a) एवं (b) में उल्लेखित) से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि में रखी जाएगी यदि उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन हो। उदाहरण स्वरूप अनारक्षित कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है एवं यदि किसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (अनुसूची–I) कोटि के अभ्यर्थी की उम्र सीमा 35 वर्ष से अधिक होती है तो उन्हें अनारक्षित कोटि में नहीं रखा जाएगा तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(xii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(xiii) आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

11. (क) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :-

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) कदाचार के लिए कार्यवाही :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) पूर्व के कदाचार का प्रभावः–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. परीक्षा शुल्कः–

(क) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ख) अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(ग) **परीक्षा शुल्क में छूट**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(घ) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ङ.) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

(च) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति विज्ञापन की कंडिका–13 (थ) के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–

(क) **Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, परंतु कंडिका–13(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित Hard Copy निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तदनुरूप समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देशों के अनुसार ही भरें। **एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।**

(घ) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(ड.) **ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :–**

(च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–**0651/2213009** पर संपर्क किया जा सकता है।

(छ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(ज) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(झ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(ञ) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

कृ0पृ0उ0

(ट) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, चिकित्सक के रूप में निबंधन प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष का इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र, अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो), उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र के निर्धारित कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट कर **तदनुरूप संबंधित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति** ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ **कंडिका–13(थ)** में दिये गये निदेशानुसार समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। **अन्तर्वीक्षा के समय अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(ठ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ड) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ढ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(ण) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(त) **अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी।** अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही–सही सूचना प्रविष्ट करते हुए प्रविष्ट किये गए सूचना के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (कण्डिका–**13(थ)** के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न कर निर्धारित तिथि तक समर्पित करेंगे। **भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ऑनलाईन** आवेदन पत्र में दी गयी सूचना एवं समर्पित अभिलेखों में भिन्नता की स्थिति में अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(थ) ***अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति Hard Copy आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगेः–***

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र

(ii) भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(iii) चिकित्सक के रूप में निबंधन प्रमाण पत्र

(iv) अनुभव के रूप में मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष का इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र

(v) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो)

(vi) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु)

(vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्ण सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)

(viii) निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट तथा निःशक्तता दावा हेतु)

(ix) भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)

(x) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति

(xi) **ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक–31.10.2018 तक अनिवार्य** रूप से **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001"** के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर ***विज्ञापन संख्या–06/2018*** तथा परीक्षा का नाम यथा– ***"सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा"*** **मोटे (Bold) अक्षरों में** अंकित किया जाना अनिवार्य है।

(द) निर्धारित तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।

14. अंतिम तिथि :–

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक–31.08.2018 से 14.10.2018 रात 11:45 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं

(ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से **दिनांक–14.10.2018 रात्रि 11.45 बजे** तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

(ग) उक्त **कंडिका–13(थ)** के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि अनुरूप सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड–पोस्ट/निबंधित डाक/या हाथों हाथ आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि–**31.10.2018** होगी।

(घ) दिनांक–**14.10.2018** के बाद दिनांक–**23.10.2018** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ङ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।